भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
रेल मंत्रालय MINISTRY OF RAILWAYS
(रेलवे बोर्ड RAILWAY BOARD)

क्र.सं.पीसी-VI/257
सं.पीसी-VI/2009/आई/5/1

आर बी ई सं. 58/2011
रेल भवन, नई दिल्ली, दिनांक : 5.05.2011
Rail Bhavan, New Delhi, Dated

महाप्रबंधक,
सभी भारतीय रेलें एवं उत्पादन इकाइयां.
(डाक सूची के अनुसार)

विषय : रेल सेवाएं (संशोधित वेतन) नियम, 2008 के संबंध में स्पष्टीकरण.

छठे केंद्रीय वेतन आयोग की सिफ़ारिशों के आधार पर, ₹10000-15200 के संशोधन पूर्व के वेतनमान में इंटरमीडिएट कॉलेजों/हायर सेकेंडरी स्कूलों/हायर सेकेंडरी मल्टीपरपस स्कूलों के प्रिंसिपलों/हैड मास्टरों/प्रधान अध्यापिकाओं के ग्रुप "ए" पदों को दिनांक 23.09.2008 के सा.का.नि.674 (ई) द्वारा दिनांक 01.01.2006 से पी बी-3 (₹15600-39100) ग्रेड पे ₹7600 की संशोधित वेतन संरचना प्रदान की गई थी. उपर्युक्त संशोधित वेतन संरचना/ग्रेड पे तदर्थ आधार पर उक्त पदों पर तैनात अधिकारियों पर लागू करने के संबंध में विभिन्न रेलों से पत्र प्राप्त हुए है.

2. इस मामले पर, प्रबंध सेवाएं तथा सचिव निदेशालय के परामर्श से विचार किया गया है. वर्तमान नीति के अनुसार, केवल उन उम्मीदवारों को जो ग्रुप "ए"/वरिष्ठ वेतनमान में प्रिंसिपल के पद पर नियमित पदोन्नति के लिए भर्ती नियमों में यथा निर्धारित पात्रता आवश्यकताओं को पूरा करते हैं, ग्रेड में उनकी तदर्थ पदोन्नति होने पर वरिष्ठ वेतनमान में नियमित वेतन लेने की अनुमति होती है. अन्य उम्मीदवार जो इन शर्तों को पूरा नहीं करते हैं वे ग्रुप "बी" में उनके वेतन के अतिरिक्त रेलवे बोर्ड द्वारा समय-समय पर निर्धारित किए गए चार्ज भत्ता पाने के लिए ही पात्र होंगे जो इस शर्त के अध्यधीन होगा कि वेतन जमा चार्ज भत्ता उस वेतन से अधिक न हो जो अन्यथा वरिष्ठ वेतनमान में उनकी नियमित पदोन्नति पर नियम 1313 (एफ आर 22) आर-II के तहत निर्धारित किए गए वेतन के आधार पर स्वीकार्य होता. बहरहाल, ऐसे अधिकारी ग्रुप "ए"/वरिष्ठ वेतनमान में नियमित पदोन्नति के लिए निर्धारित भर्ती नियमों की पात्रता आवश्यकताओं को पूरा करने के बाद ही वरिष्ठ वेतनमान में वेतन पाने के पात्र होंगे. तदनुसार, यह स्पष्ट किया जाता है कि इंटरमीडिएट कॉलेजों/हायर सेकेंडरी स्कूलों/हायर सेकेंडरी मल्टीपरपस स्कूलों के प्रिंसिपलों/हैडमास्टरों/प्रधान अध्यापिकाओं (₹10000-15200/-के संशोधन पूर्व के वेतनमान) के ग्रुप "ए" पदों पर तदर्थ आधार पर तैनात ग्रुप "बी" राजपत्रित अधिकारियों को भर्ती नियमों में यथा निर्धारित पात्रता आवश्यकतों को पूरा करने पर संशोधित वेतन संरचना पी बी-3 ग्रेड पे

₹7600 में वेतन निर्धारण के लाभ की अनुमति होगी. संशोधित वेतन संरचना में उनका वेतन निर्धारण सा.का.नि.643(ई) दिनांक 04.09.2008 द्वारा अधिसूचित रेल सेवाएं (संशोधित वेतन) नियम, 2008 के नियम 7 अथवा नियम 13 (जैसा भी मामला हो) के प्रावधानों द्वारा शासित होगा. बहरहाल, उच्चतर वेतन संरचना पी बी-3, ग्रेड पे ₹7600 में वेतन निर्धारण तदर्थ आधार पर उपर्युक्त पदों पर तैनात पदधारकों को उपर्युक्त पदों पर बने रहने अथवा ऐसे पदों पर नियमित पदोन्नति के लिए कोई अधिकार अथवा इसका दावा प्रदान नहीं करेगा.

3. इसे रेल मंत्रालय के प्रबंध सेवाएं निदेशालय तथा सचिव निदेशालय के परामर्श से तथा वित्त निदेशालय की सहमति से जारी किया जा रहा है.

(कोशी थॉमस)
संयुक्त निदेशक, वेतन आयोग-II,
रेलवे बोर्ड

सं.पीसी-VI/2009/आई/5/1 नई दिल्ली, दिनांक . 5 .05.2011

प्रतिलिपि भारत के उप नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (रेलें), कमरा नं.222, रेल भवन, नई दिल्ली को (40 प्रतियों सहित) प्रेषित.

कृते वित्त आयुक्त/रेलें

BHARAT SARKAR/GOVERNMENT OF INDIA
RAIL MANTRALAYA/MINISTRY OF RAILWAYS
(RAILWAY BOARD)

S.No. PC-VI/257 **RBE No. 58 /2011**
No. PC-VI/2009/I/5/1 **New Delhi, dated .5 .5.2011**

The General Managers
All Indian Railways and PUs
(As per mailing list)

Sub: Railway Services (Revised Pay) Rules, 2008- clarification regarding

Based on the recommendations of Sixth Central Pay Commission, the Group 'A' posts of Principals/Head Masters/Head Mistress of Intermediate Colleges/Higher Secondary Schools/Higher Secondary Multipurpose Schools in pre-revised scale ₹10000-15200 were granted revised pay structure of PB-3 (15600-39100) Grade Pay ₹7600 w.e.f. 01.01.2006 vide GSR674(E) dt. 23.09.2008. References are being received from various Railways regarding applicability of above revised pay structure/Grade Pay to those holding above posts on ad hoc basis.

2. The issue has been considered in consultation with Management Services and Secretary's Directorates. As per extant policy, only those candidates who fulfill the eligibility requirements as prescribed in the Recruitment Rules for regular promotion to the post of Principal in Group 'A'/Sr.Scale, are allowed to draw regular pay in Sr.Scale even on their adhoc promotion to the grade. Others who do not, would be entitled to only a charge allowance as fixed by the Railway Board from time to time, in addition to their pay in Group 'B', subject to the condition that pay plus charge allowance does not exceed the pay that would have otherwise been admissible had it been fixed under Rule 1313 (FR 22) R-II on their regular promotion to Sr.Scale. Such officers would, however, be entitled to draw pay in Sr.Scale only after their fulfilling the eligibility requirements of the Recruitment Rules prescribed for regular promotion to Group 'A'/Sr Scale. Accordingly, it is clarified that the Group 'B' Gazetted officers holding the Group 'A' posts of Principals/ Head Masters/Head Mistress of Intermediate Colleges/Higher Secondary Schools/Higher Secondary Multipurpose schools (pre-revised scale ₹10000-15200) on adhoc basis, on qualifying the eligibility requirements as prescribed in the Recruitment Rules may be allowed benefit of pay fixation in revised pay structure PB-3 GP ₹7600. Their pay fixation in the revised pay structure would be governed by the provisions of Rule 7 or Rule 13 (as the case may be) of Railway Services (Revised Pay) Rules, 2008 notified vide GSR 643 (E) dated 04.09.2008. Pay fixation in higher pay structure PB-3, GP ₹7600 will not however, confer upon the incumbents holding above posts on adhoc basis, any right or claims for retention in the above posts or for regular promotion against such posts.

3. This issues in consultation with Management Services Directorate and Secretary's Directorate and with the concurrence of Finance Directorate of the Ministry of Railways.

(Koshy Thomas)
Jt. Director Pay Commission-II
Railway Board

No. PC-VI/2009/I/5/1 **New Delhi, dated 5 .5.2011**

Copy to Deputy Comptroller and Auditor General of India (Railways), Room No.222, Rail Bhavan, New Delhi (with 40 spares)

for Financial Commissioner/Railways